
अध्याय 3: पीएमयूआई के अंतर्गत एलपीजी कनैक्शनों का वितरण

अध्याय 3: पीएमयूआई के अंतर्गत एलपीजी कनैक्शनों का वितरण

पीएमयूवाई के लिक्षित लाभार्थी देश में एलपीजी से वंचित बीपीएल परिवार है। योजना का उद्देश्य एकल सरकारी वितीय सहायता के माध्यम से इन बीपीएल परिवारों को खाना पकाने के अस्वच्छ से स्वच्छ ईंधन में परिवर्तन का समर्थन करके एलपीजी कवरेज में लाना है। एमओपीएनजी ने पीएमयूवाई के, अन्य बातों के साथ-साथ, निम्नलिखित कार्यान्वयन तौर-तरीकों की रूपरेखा तैयार की:

- 1. बीपीएल परिवार की महिला, जिसके पास एलपीजी कनेक्शन नहीं है, वह निर्धारित प्रारूप मे विवरण जैसे पता, जनधन/बैंक खाता, परिवार के सभी व्यस्क सदस्यों की आधार संख्या एलपीजी वितरक को देकर एलपीजी कनैक्शन के लिए आवेदन कर सकती है।
- 2. ओएमसीज द्वारा एसईसीसी-2011 डेटाबेस से आवेदनों का मिलान किया जाता है और उनकी बीपीएल स्थिति सुनिश्चित करने के बाद, निर्धारित ओएमसी वैब पोर्टल में विवरण डाला जाता है। किसी पीएमयूवाई लाभार्थी की प्राथमिक पहचान एएचएल टीआईएन के आधार पर की जाती है जो प्रत्येक लाभार्थी की पहचान संख्या है।
- 3. ओएमसीज इलैक्टॉनिक रूप से डी-डुप्लिकेशन प्रक्रिया और केवाईसी की जांच करती है ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि नये कनैक्शन केवल पात्र लाभार्थी को ही जारी किये गये हैं।

पीएमयूवाई के अंतर्गत एलपीजी कनैक्शन जारी करने की प्रक्रिया निम्न प्रवाह चार्ट में वर्णित है:



(स्रोत - आईओसीएल)

लाभार्थियों की पहचान किसी भी सामाजिक समावेश योजना के कार्यान्वयन और प्रभावकारिता में एक महत्वपूर्ण तत्व है जिससे लक्षित लाभार्थियों को लाभ प्रदान किया जा सके।

लेखापरीक्षा ने पीएमयूवाई दिशानिर्देशों के अनुपालन के संदर्भ में कार्यान्वयन प्रक्रिया की प्रभावकारिता का निर्धारण, यह आश्वासन प्राप्त करने के लिए किया कि कनैक्शन संबंधित पात्र और योग्य पीएमयूवाई लाभार्थियों को जारी किये गए थे। यह ओएमसीज द्वारा प्रदान किए गए डेटा, एसईसीसी डेटा और वितरकों के परिसरों में केवाईसी जांच की क्षेत्रीय लेखापरीक्षा का विशलेषण करके किया गया था। उक्त प्रयोग से सामने आने वाली टिप्पणियों पर आगामी पैराग्राफों में चर्चा की गई है:-

3.1 पीएमयूवाई लाभार्थियों से सभी वयस्क परिवार के सदस्यों की आधार संख्या प्राप्त नहीं करना

पीएमयूवाई कार्यान्वयन के तौर तरीके अन्य बातों के साथ-साथ यह बताते है कि एक महिला लाभार्थी को परिवार के सभी सदस्यों की आधार संख्या प्रस्तुत करना आवश्यक है और ओएमसीज द्वारा एक ही घर में अनेक कनेक्शन दिये जाने की संभावना को कम करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक रूप से डी-डुप्लिकेशन कार्य शुरू किये गए हैं। पीएमयूवाई साधनों के कार्यान्वयन को लागू करने के लिए, एमओपीएनजी ने अधिसूचित कर बताया (23 जून 2016) कि उज्ज्वला केवाईसी के अनुमोदित प्रारूप में केवाईसी जांच करने के लिए निम्नलिखित सूचना प्राप्त करना अनिवार्य था:

- 18 वर्ष से अधिक आयु के घर के सदस्यों के ब्यौरे (एक ही रसोईघर का प्रयोग करने वाले एक आवास इकाई में एक साथ रहने वाले लोगों को शामिल करते हुए);
- आधार कार्ड की प्रतियों के साथ परिवार के सभी वयस्क सदस्यों की आधार संख्या;
- राशन कार्ड के ब्यौरे अर्थात् जारी करने वाला राज्य, राशन कार्ड की प्रति के साथ राशन कार्ड संख्या।


पीएमयूवाई पुस्तिका (जुलाई 2016) में स्पष्ट किया गया है कि "प्राप्तकर्ता लाभार्थी के नाम पर आधार के साथ ही बैंक खाता होना अनिवार्य है। घर के अन्य सदस्यों के लिए आधार संख्या प्रस्तृत करना अनिवार्य है"।

पीएमयूवाई उपभोक्ता डेटाबेस का विश्लेषण करने पर, लेखापरीक्षा में पाया गया कि 3.78 करोड़ सिक्रिय पीएमयूवाई एलपीजी कनेक्शनों में से, ओएमसी ने केवल लाभार्थियों के आधार कार्ड पर ही 1.60 करोड़ (42 प्रतिशत) कनेक्शन जारी किये, जैसा कि नीचे दर्शाया गया है:

_

⁷ पत्र सं. पी-17018/1/2016-एलपीजी





लेखापरीक्षा ने आगे निम्नलिखित पाया:

- 1. बहु कनेक्शनों की पहचान करने के लिए आधार संख्या के आधार पर ओएमसीज ने पहल (डीबीटीएल) आंरभ होने के बाद अपने संबंधित डेटाबेसों के अंतर्गत एक इंट्रा-ओएमसी डी-डुप्लिकेशन (मई 2013) के साथ-साथ इंटर-ओएमसी डी-डुप्लिकेशन शुरू किया (2014) । इसके अतिरिक्त, पीएमयूवाई के कार्यान्वयन साधनों और उज्जवला केवाईसी के अनुसार, परिवार के सभी व्यस्क सदस्यों के आधार अनिवार्य रूप से एकत्र किए जाने थे। तदनुसार, पीएमयूवाई एलपीजी कनेक्शनों को जारी करने से पूर्व दोहरीकरण को रोकने के कार्य को प्रभावी बनाने के लिए परिवार के सभी वयस्क सदस्यों की आधार संख्या प्राप्त करके उनको सिस्टम मे प्रविष्ट किया जाना था।
- 2. चयनित एलपीजी वितरकों के अभिलेखों की नमूना जांच के दौरान, लेखापरीक्षा में पाया गया कि 1206 केवाईसी में से यद्यपि 361 पीएमयूवाई लाभार्थियों ने केवाईसी के साथ अपने परिवार के वयस्क सदस्यों की आधार संख्या प्रस्तुत की थी, एलपीजी वितरकों ने एलपीजी वेब पोर्टल पर इसको दर्ज नहीं किया था। ओएमसी वेब पोर्टल से परिवार के सदस्यों की आधार संख्या का वैधीकरण करने पर लेखापरीक्षा में पाया गया कि पीएमयूवाई लाभार्थियों के परिवार के व्यस्क सदस्यों की उपलब्ध 361 आधार संख्या में से, 72 (20 प्रतिशत) समान/अन्य ओएमसी मे किसी अन्य एलपीजी कनेक्शनों के साथ मौजूद पाए गए थे जो लाभार्थी परिवारों में अतिरिक्त एलपीजी कनेक्शनों के होने की पुष्टि करता है।
- 3. इसके अलावा, इस योजना के अनुसार, यदि परिवार के सभी सदस्यों की आधार संख्या उपलब्ध नहीं थी, तो ओएमसीज को परिवार के सदस्यों के आधार कार्ड प्राप्त करने की सुविधा प्रदान करनी थी। हालांकि, ओएमसीज के एलपीजी सोफ्टवेयर में एलपीजी कनेक्शनों को जारी करने के बाद आधार को प्रविष्ट करने का कोई प्रावधान नहीं था।

⁸ भारत सरकार ने (नवंबर 2014) ओएमसी की घरेलू एलपीजी वितरण प्रणाली में गड़बडी और विपथन पर रोक लगाने के उद्देश्य से एलपीजी सब्सिडी की सीधे उपभोक्ता को हस्तांतरित करने के लिए पहल (डीबीटीएल) को आरंभ किया गया था।

ऐसे मामले केवल संकेतिक हैं जो नमूना जांच के दौरान पाए गए थे और जिसके कारण घरेलू एलपीजी का गैर घरेलू उपयोग हेतु विपथन हो सकता है क्योंकि उन आधार संख्याओं पर बहु कनेक्शन हो सकते हैं जो सॉफ्टवेयर में दर्ज नहीं किए गए थे। अतः पीएमयूवाई लाभार्थियों के परिवार के सभी वयस्क सदस्यों की आधार संख्याओं को प्राप्त नहीं करने/फीड नहीं करने के कारण परिवार के सभी व्यस्क सदस्यों की आधार संख्या पर डी-डुप्लिकेशन ओएमसीज के द्वारा नहीं किया जा सका, जो कनेक्शनों के वाणिज्यिक उपयोग हेतु विपथन के जोखिम को उजागर करता है।

ओएमसी ने उत्तर दिया (अप्रैल 2019) की प्रारंभिक योजना दस्तावेज के अनुसार (31 मार्च 2016) परिवार के सदस्यों का आधार अनिवार्य नहीं था और केवाईसी के प्रचलित मानदंडों के अनुरूप, पीएमयूवाई आवेदकों से परिवार के सभी वयस्क सदस्यों की आधार संख्याओं के अनिवार्य संग्रहण के बिना नामांकन शुरू किया गया था। इसके अलावा, पहल (डीबीटीएल) के लागू होने के बाद से, सब्सिडी हस्तांतरण को अधिनियमित करने के लिए केवल आवेदक के आधार का मानांकन किया गया था। तदनुसार, पीएमयूवाई के तहत समान प्रणाली को जारी रखा गया। इसके अतिरिक्त, बहु कनेक्शनों को रोकने के लिए, एएचएल टीआईएन डी-इूप को एनआईसी के द्वारा परिवार के एएचएल टीआईएन (26 अंक) और लाभार्थी के एएचएल टीआईएन (29 अंक) के आधार पर भी प्रारंभ किया गया था; जो एक ही एएचएल टीआईएन पर परिवार को बहु कनेक्शन जारी करने की संभावनाओं को समाप्त करता है। इसके अलावा, एमओपीएनजी द्वारा जारी एफएक्यू का उल्लेख करते हुए यह भी बताया गया कि परिवार के सदस्यों की आधार संख्या की अनुपलब्धता के मामले में, उपभोक्ता को परिवार के सदस्यों के नाम पर एलपीजी कनेक्शनों के नहीं होने के संबंध में घोषणा पत्र देना होगा। बाजार प्रतिक्रिया के आधार पर, ओएमसी ने नामांकन प्रक्रिया को सुदृढ़ करने के लिए परिवार के सदस्यों में से कम से कम किसी एक का आधार संग्रह करना अनिवार्य (सितंबर 2017) कर दिया था।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है चूंकि पीएमयूवाई के अनुमोदित केवाईसी प्रारूप के साथ ही एमओपीएनजी के निर्देशों (जून 2016) में परिवार के सभी वयस्क सदस्यों की आधार संख्या को अनिवार्य रूप से संग्रहित करना निर्दिष्ट किया गया था और इस संबंध में एमओपीएनजी द्वारा कोई छूट नहीं दी गई थी। इसलिए, पहल (डीबीटीएल) के अनुसार, एकल आधार को संग्रह करने की मौजूदा कार्य-विधि को जारी रखना एमओपीएनजी निर्देशों के अनुरूप नहीं था। इसके अलावा, एएचएल टीआईएन डी-डूप अर्थात् समान एएचएल टीआईएन/पारिवारिक एएचएल टीआईएन के संबंध में केवल पीएमयूवाई के तहत जारी बहु कनेक्शनों का पता लगा सकता है और इस योजना के बाहर परिवार के अन्य सदस्यों को जारी किए गए मौजूदा कनेक्शन का पता नहीं लगा सकता है।

एमओपीएनजी ने (मई/जुलाई 2019) लेखापरीक्षा टिप्पणी को नोट किया और ओएमसीज को लाभार्थियों के पित या पिरवार के अन्य वयस्क सदस्य को अतिरिक्त आधार संख्या के आधार पर ओएमसी को पुन: संग्रहित करने, सॉफ्टवेयर मे प्रविष्ट करने और डी-डुप्लिकेशन करने का सुझाव दिया। ओएमसी ने अपने एलपीजी सॉफ्टवेयर में अपेक्षित प्रावधान तैयार किए हैं। इसके

अतिरिक्त, ओएमसी द्वारा सत्यापन करने पर, NULL एएचएल टीआईएन के साथ 17,615 कनेक्शन और 79,415 बहु कनेक्शन पाए गए थे। इन सभी कनेक्शनों को बंद कर दिया गया और 42910 मामलों को समाप्त कर दिया गया था।

हालांकि, जिन कनेक्शनो की आधार संख्या सॉफ्टवेयर में नहीं ली गई है उपरोक्त तंत्र परिवार के अन्य सदस्य के आधार कार्ड पर मौजूदा बहु कनेक्शनों की संभावना को समाप्त नहीं कर पाएगा।

3.2 योजना दिशानिर्देशों के उल्लंघन में पीएमयूवाई कनेक्शन जारी करना

एसईसीसी सूची और आधार पर दोहरीकरण को रोकने के कार्य, एएचएल टीआईएन और बैंक खाते के माध्यम से बीपीएल महिला लाभार्थियों की पहचान, पीएमयूवाई के तहत एलपीजी कनेक्शनों को जारी करने के लिए स्थापित प्रक्रियाएं हैं। लेखापरीक्षा ने पाया कि निम्नलिखित उदाहरणों में पीएमयूवाई दिशानिर्देशों के उल्लंघन में लाभार्थियों को एलपीजी कनेक्शन जारी किए गए थै:

3.2.1 एसईसीसी-2011 सूची में पूर्ण रिक्त अभिलेखों के साथ एएचएल टीआईएन पर जारी किए गए पीएमयूवाई कनेक्शन

लेखापरीक्षा ने एनआईसी द्वारा उपलब्ध कराए गए एसईसीसी-2011 डेटाबेस के एएचएल टीआईएन के साथ पीएमयूवाई उपभोक्ता डेटाबेस के अनुसार लाभार्थियों के एएचएल टीआईएन का मिलान किया और देखा कि 9897 एलपीजी कनेक्शन (आईओसीएल: 9785 और एचपीसीएल: 112) ऐसे एएचएल टीआईएन पर जारी किए गए थे जहां परिवार के सभी सदस्यों के नाम लाभार्थियों के नाम सहित एसईसीसी-2011 सूची में पूर्ण रूप से खाली थे। इन मामलों में ऐसे लाभार्थियों की पहचान अपर्याप्त प्रणाली जांचों के साथ एसईसीसी-2011 डेटा में खामियों के कारण संभव नहीं थी, जिसके कारण अनपेक्षित लाभार्थियों को पीएमयूवाई कनेक्शन जारी करने का जोखिम उत्पन्न होता है।

ओएमसीज ने उत्तर दिया (अप्रैल 2019) की लेखापरीक्षा टिप्पणी के आधार पर 3014 कनेक्शन (आईओसीएल: 2902, एनपीसीएल: 112) अवरुद्ध किए गए हैं और आईओसीएल ने 383 कनेक्शनों को समाप्त किया है।

एमओपीएनजी ने उत्तर दिया (जुलाई 2019) कि ओएमसीज को रिक्त अभिलेखों के साथ एएचएल टीआईएन के संबंध में जारी किए गए ऐसे कनेक्शनों को समाप्त करने का सुझाव दिया गया था। तदनुसार, आईओसीएल ने 4324 कनेक्शनों को समाप्त/बंद किया और एचपीसीएल ने सभी 112 कनेक्शनों को समाप्त कर दिया है। आईओसीएल में शेष कनेक्शनों के सत्यापन का कार्य किया जा रहा था।

3.2.2 एसईसीसी-2011 सूची में आंशिक रिक्त अभिलेखों के साथ एएचएल टीआईएन पर पीएमयुवाई कनेक्शनों को जारी करना

एसईसीसी-2011 डेटाबेस के अनुसार एएचएल टीआईएन के साथ पीएमयूवाई उपभोक्ता डेटाबेस के अनुरूप एएचएल टीआईएन की तुलना करने पर लेखापरीक्षा में पाया गया कि ऐसे एएचएल टीआईएन पर 4.10 लाख कनेक्शन (आईओसीएल: 2.09 बीपीसीएल: 1.21 लाख और एचपीसीएल: 0.80 लाख) जारी किए है जहां एसईसीसी-2011 सूची में केवल एक सदस्य को छोड़कर परिवार के पूर्ण ब्यौरे रिक्त थे। इस परिदृश्य में, एसईसीसी-2011 सूची में ब्यौरों के अभाव में लाभार्थियों की पहचान करना संभव नहीं था। अतः एएचएल टीआईएन का उपयोग करके ऐसे कनेक्शनों को जारी करना जहां लाभार्थी की पहचान करना संभव नहीं था अनपेक्षित व्यक्तियों को कनेक्शन जारी करने के जोखिम को बढ़ाता है। ओएमसीज के एलपीजी सॉफ्टवेयर में ऐसे मामलों में कनेक्शन जारी करने के खिलाफ प्रतिबंध या चेतावनी देने के लिए सत्यापन नियंत्रण नहीं था।

ओएमसीज ने उत्तर दिया (अप्रैल 2019) कि एसईसीसी सूची मे अपूर्ण ब्यौरों के कारण बहुत अधिक संख्या में परिवार इस योजना से वंचित थे, इसलिए ऐसे मामलों को देखने के लिए ओएमसीज द्वारा परिवारों के आंशिक ब्यौरे वाले मामलों पर विचार किया गया और एक मानक परिचालन प्रक्रिया (एसओपी) को तैयार किया गया (मई 2017)। तदनुसार, ऐसे परिवार पीएमयुवाई के तहत योग्य आवेदकों के रूप में माने गए थे।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि ओएमसी द्वारा यहां संदर्भित एसओपी ने स्पष्ट रूप से निर्दिष्ट किया की पहचान को प्रमाणित करने के लिए, पहचान के साक्ष्य (पीओआई) में से एक के साथ उनके संबंध को प्रमाणित करने के लिए आवेदक को परिवार के मुखिया या उसके पित को शामिल करते हुए कम से कम परिवार के दो सदस्यों के ब्यौरे उपलब्ध कराने चाहिए, जिसके पूर्ण ब्यौरे एसईसीसी सूची में भी उपलब्ध हैं। एसओपी में यह भी कहा गया कि वितरक ऐसे परिवार के विवरणों की जांच के उपरांत ही केवाईसी विवरणों की प्रविष्ट आगे के डी डुप्लिकेशन प्रक्रिया के लिए कर सकता था अन्यथा इसे 'होल्ड केवाईसी' की श्रेणी में में रखा जाना था। हालांकि, इस एसओपी से उक्त स्थिति का पता नहीं लगता क्योंकि इस मामले में केवल एक सदस्य का नाम उपलब्ध था और वो भी उसके माता-पिता के बिना था, जो लाभार्थी की पहचान को प्रमाणित करने के लिए अपर्याप्त था। इसलिए, प्रणाली में आवश्यक सत्यापन नियंत्रण के अलावा, पहचान सत्यापन की एक उपयुक्त वैकल्पिक प्रणाली ओएमसीज द्वारा अनपेक्षित व्यक्तियों को कनेक्शन जारी करने से बचने के लिए तैयार की जानी चाहिए।

एमओपीएनजी ने उत्तर दिया (मई/जुलाई 2019) कि ओएमसी को केवाईसी में कम से कम एक आधार संख्या (पित/वयस्क पिरवार का सदस्य का) प्रविष्ट करने के साथ राशन कार्ड की वरीयता अनुसार पिरवार के सभी वयस्क सदस्यों के ब्यौरे प्राप्त करने का सुझाव दिया गया। ओएमसी ने एकत्र किए गए अतिरिक्त आधार संख्या के आधार पर डी-ड्प्लिकेशन प्न: करने का सुझाव

दिया गया। तदनुसार 0.54 लाख कनेक्शन अनुचित पाए गए थे और ओएमसी द्वारा समाप्त किए गए थे।

3.2.3 पुरुष उपभोक्ताओं को जारी किए गए पीएमयूवाई कनेक्शन

ओएमसीज द्वारा केवल महिलाओं को एलपीजी कनेक्शनों को जारी करने के लिए एलपीजी सॉफ्टवेयर में पर्याप्त सत्यापन जांच डिजाइन करना अनिवार्य था। एसईसीसी-2011 डेटाबेस के साथ पीएमयूवाई उपभोक्ता डेटाबेस में एएचएल टीआईएन के मिलान पर लेखापरीक्षा में पाया गया कि आईओसीएल द्वारा पुरूषों के एएचएल टीआईएन पर 1.88 लाख एलपीजी कनेक्शन जारी किए गए थे।

एलपीजी वितरकों की क्षेत्रीय लेखापरीक्षा के दौरान इसकी आगे पुष्टि की गई थी जहां देखा गया कि सत्यापित 285 केवाईसी में से 20 कनेक्शन पुरुषों के एएचएल टीआईएन उपयोग करके जारी किए गए थे। इसके अलावा, महिलाओं के एएचएल टीआईएन का उपयोग करके पुरूषों को 43 कनेक्शन जारी किए थे।

अतः आईओसीएल के एलपीजी सॉफ्टवेयर के लिंग फील्ड में इनपुट वैधीकरण जांच के अभाव और क्षेत्रीय स्तर पर यथोचित परीक्षण की कमी के कारण पीएमयूवाई कनेक्शन पुरुषों को जारी किए गए थे। हालांकि एचपीसीएल और बीपीसीएल के सॉफ्टवेयर में इन सत्यापनों की स्थापना की गई थी फिर भी एचपीसीएल द्वारा पुरुषों को जारी किए गए 26 मामले समाप्त किए गए थे।

आईओसीएल ने उत्तर दिया (अप्रैल 2019) की पुरुष एएचएल टीआईएन के संबंध में कनेक्शन जारी करना प्रतिबंधित करने के लिए आईओसी और एनआईसी दोनों स्तर पर अपेक्षित प्रणाली जांच बाद में प्रारंभ की गई थी।

एमओपीएनजी ने उत्तर दिया (मई/जुलाई 2019) कि ओएमसी को जांच करने और सुधारात्मक कार्यवाही करने के सुझाव दिए गए थे। तदनुसार, सत्यापित 1.78 लाख मामलों में से अनुचित 0.41 लाख कनेक्शन आईओसीएल द्वारा समाप्त किए गए थे। शेष मामलों का सत्यापन किया जा रहा था।

3.2.4 उपभोक्ताओं के नामों के साथ उपनाम/या/उर्फ संयोजकों का उपयोग करके पीएमयूवाई कनेक्शन जारी करना

पीएमयूवाई उपभोक्ता डेटाबेस के विश्लेषण से पता चला कि 52271 मामलों में (आईओसी-34356, बीपीसीएल-4701 और एचपीसीएल-13214), एलपीजी वितरकों ने उर्फ/या/उपनाम संयोजकों का उपयोग करके एसईसीसी में प्रदर्शित लाभार्थियों के नाम के साथ व्यक्तियों के नाम जोड़कर कनेक्शन जारी किए थे, यह दर्शाने के लिए कि दोनों नाम एक ही उपभोक्ता से संबंधित है जिससे अयोग्य व्यक्तियों की पहचान ना हो सके जैसा नीचे उदाहरण दिया गया है:

- क) एलपीजी डेटाबेस में "केवाईसी दस्तावेजों के अनुसार प्रथम नाम" **उर्फ** "एसईसीसी-2011 के अनुसार प्रथम नाम":
- ख) एलपीजी डेटाबेस में "केवाईसी दस्तावेजों के अनुसार प्रथम नाम" **या** "एसईसीसी-2011 के अनुसार प्रथम नाम":
- ग) पहले नाम के कॉलम में "केवाईसी दस्तावेजों के अनुसार नाम", मिडल नाम के कॉलम में उपनाम तथा अंतिम नाम के कॉलम में "एसईसीसी-2011 के अनुसार नाम":

चयनित एलपीजी वितरकों की क्षेत्रीय लेखापरीक्षा में नमूना जांच के आधार पर ऐसी विसंगतियों की समीक्षा की गई जिससे पता चला कि अयोग्य लाभार्थियों को एलपीजी कनेक्शन जारी किए गए थे।

एमओपीएनजी ने उत्तर दिया (मई/जुलाई 2019) कि ओएमसी को जांच करने और सुधारात्मक कार्रवाई करने का सुझाव दिया गया था। तदनुसार, 0.55 लाख मामलों के सत्यापन के बाद, ओएमसी ने 0.29 लाख कनेक्शन अयोग्य पाए।

3.2.5 पीएसयुवाई के तहत नाबालिगों को जारी किए गए एलपीजी कनेक्शन

पीएमयूवाई के साथ-साथ एलपीजी नियंत्रण आदेश, 2000 में निर्धारित किया गया है कि एलपीजी कनेक्शन केवल उन उपभोक्ता को दिए जा सकते है जो न्यूनतम 18 वर्ष की आयु के है। हालांकि, लेखापरीक्षा ने पाया कि नाबालिग लाभार्थियों को एलपीजी कनेक्शन जारी किए जैसा नीचे चर्चा की गई है:-

3.2.5.1 आधार कार्ड में दी गई जन्म तिथि के आधार पर नाबालिगों को जारी किए गए एलपीजी कनेक्शन

164 एलपीजी वितरकों के पीएमयूवाई लाभार्थियों के 18558 केवाईसी अभिलेखों के साथ संलग्न आधार कार्ड की समीक्षा पर लेखापरीक्षा में पाया गया कि 255 एलपीजी कनेक्शन (1.37 प्रतिशत) उन व्यक्तियों को जारी किए गए थे जो अपने आधार कार्ड में उल्लेखित जन्मतिथि के अनुसार नाबालिग थे। एलपीजी नियंत्रण आदेश 2000 के उल्लंघन में एलपीजी डेटाबेस के संबंधित फील्ड में गलत जन्मतिथि दर्ज करके एक नाबालिग आवेदक को एक वयस्क के रूप में प्रस्तुत करके ये एलपीजी कनेक्शन जारी किए थे।

एचपीसीएल ने लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने के बाद दो वितरकों द्वारा नाबालिग लाभार्थियों को जारी किए गए 1809 कनेक्शनों का भी पता लगाया जो अन्य वितरकों के मामलों में ऐसी संभावना के मौजूद होने को भी दर्शाता है। इसीलिए, ओएमसीज के सभी एलपीजी वितरकों का समान मामलों में विस्तृत सत्यापन की आवश्यकता है।

ओएमसीज ने उत्तर दिया (अप्रैल 2019) कि क्षेत्रीय लेखापरीक्षा के दौरान इंगित किए अनुसार नाबालिक लाभार्थियों के मामलों को या तो समाप्त कर दिया गया/या वह सत्यापन के तहत है और दोषी वितरकों के विरूद्ध कार्यवाही की गई है।

एमओपीएनजी ने उत्तर दिया (मई/जुलाई 2019) की ओएमसीज को वैधीकरण और सुधारात्मक कार्यवाही करने के सुझाव दिए गए थे तदनुसार ओएमसी को 211 अयोग्य कनेक्शन मिले हैं। इसके अलावा, एनआईसी को यूआईडीएआई के पास उपलब्ध आधार डाटा के अनुसार एलपीजी डेटाबेस में आधार की जन्म तिथि को जांच करने के लिए कहा गया है।

3.2.5.2 एलपीजी डेटाबेस (आईओसीएल) में वैधता की जांच के अभाव के कारण नाबालिगों को कनेक्शन जारी करना

आईओसीएल के एलपीजी सोफ्टवेयर में आरंभ में जन्म तिथि पर कोई वैधता जांच नहीं थी। इसको फरवरी 2018 में शामिल किया गया था। आईओसीएल द्वारा उपलब्ध कराए गए पीएमयूवाई उपभोक्ता डेटा के विश्लेषण से पता चला कि एलपीजी सोफ्टेवयर में दर्ज किए गए लाभार्थियों की जन्म तिथि के अनुसार एसवी की तिथि तक 0.80 लाख पीएमयूवाई लाभार्थियों की आयु 18 वर्ष से कम थी। इन मामलों में, केवाईसी जांच 18 फरवरी से पहले की गई थी परिणामस्वरूप नाबालिगों को कनेक्शन जारी किए गए थे।

एमओपीएनजी ने उत्तर दिया (मई/जुलाई 2019) कि ओएमसी का सत्यापन करने और उचित कार्रवाई करने के सुझाव दिए गए थे। तदनुसार, 77631 कनेक्शनों के सत्यापन के बाद, आईओसीएल को 18137 अयोग्य कनेक्शन मिले थे। शेष मामलों का सत्यापन किया जा रहा था।

3.2.5.3 एसईसीसी-2011 के अनुसार नाबालिंग उपभोक्ताओं को एलपीजी कनेक्शन जारी करना

एसईसीसी-2011 डेटाबेस में लाभार्थियों की जन्म तिथि के साथ पीएमयूवाई डेटाबेस में दर्ज की गई लाभार्थियों की एसवी तिथि की तुलना करने से पता चला कि 8.59 लाख दृष्टांतों में (आईओसीएल: 3.60 लाख, बीपीसीएल: 2.30 लाख और एचपीसीएल: 2.69 लाख) एसवी जारी करने की तिथि तक पीएमयूवाई लाभार्थियों की आयु 18 वर्ष से कम थी।

ओएमसीज ने उत्तर दिया (अप्रैल 2019) कि एसईसीसी डेटा में जन्म तिथि को अभिलेखित करने में त्रुटियां थी और ऐसे विपथन को समायोजित करने के लिए एमओपीएनजी द्वारा जारी किए गए एफ़एक्यू में बताया गया कि 'आधार कार्ड में दी गई आयु को सही माना जाएगा'। तदनुसार ओएमसीज ने पंजीकरण की अनुमित दी थी भले ही एसईसीसी डेटा में दी गई आयु आधार कार्ड में दर्ज आयु से मेल नहीं खा रही थी और जन्म तिथि (आधार कार्ड के अनुसार) दर्ज करने के लिए जांच प्रणाली को सक्षम बनाया गया तािक यह सुनिश्चित किया जा सके कि नाबािलगों को कोई कनेक्शन जारी नहीं किए गए हैं।

विसंगतियों की इतनी बड़ी मात्रा ओएमसीज द्वारा ऐसे सभी मामलों की विस्तृत जांच की आवश्यकता को रेखांकित करती है।

एमओपीएनजी ने उत्तर दिया (मई/जुलाई 2019) कि ओएमसी को जांच करके उचित कार्रवाई करने का सुझाव दिया गया था। तदनुसार जांच के बाद ओएमसी को 1.72 लाख (आईओसीएल: 0.90 लाख बीपीसीएल: 0.38 लाख और एचपीसीएल: 0.44 लाख) अयोग्य कनेक्शन मिले। शेष मामले जांच हेत् लंबित थे।

3.2.6 एएचएल टीआईएन पर उन व्यक्तियों के लिए पीएमयूवाई कनेक्शन जारी करना जिनकी आयु एसवी जारी करने की तिथि तक 100 वर्ष से अधिक थी

एसईसीसी-2011 सूची से एलपीजी डेटाबेस की तुलना करने से पता चला कि एसईसीसी-2011 डेटा के अनुसार 8465 पीएमयूवाई लाभार्थियों (आईओसीएल: 4255 बीपीसीएल: 2328 और एचपीसीएल: 1882) की जन्म तिथि 100 वर्षों से अधिक थी जबकि एलपीजी डेटाबेस में इन लाभार्थियों की आयु निम्न प्रकार थी:

तालिका 3.1: एलपीजी डेटाबेस में विभन्न वायु वर्ग के तहत आने वाले लाभार्थियों की संख्या

आयु वर्ग (वर्षों में)	लाभार्थियों की संख्या		
0 से 18 वर्ष से कम (नाबालिग)	46		
18 से 40	3500		
41 से 80	3493		
81 से 100	436		
100 से अधिक	990		

एसईसीसी और एलपीजी डेटाबेस के बीच आयु में अंतर इन लाभार्थियों की वास्तविकता और अयोग्य लाभार्थियों को कनेक्शन जारी करने के लिए इन व्यक्तियों के एएचएल टीआईएन के दुरूपयोग के संबंध में खतरे में वृद्धि करता है।

आईओसीएल ने उत्तर दिया (अप्रैल 2019) कि उन्होंने 245 ऐसे कनेक्शन समाप्त कर दिए हैं। एमओपीएनजी ने उत्तर दिया (मई/जुलाई 2019) कि योग्य आवेदकों के लिए कोई उच्च आयु सीमा नहीं है। हालांकि, ओएमसी को जांच करने और उचित कार्रवाई करने के लिए निदेशित किया गया है। तदनुसार, ओएमसी को 1454 अयोग्य कनेक्शन मिले है और आईओसीएल के 11 मामले जांच हेतु लंबित थे।

3.2.7 एसईसीसी-2011 डेटाबेस और ओएमसीज के पीएमयूवाई उपभोक्ता डेटाबेस के बीच लाभार्थियों के बेमेल नाम

लेखापरीक्षा ने पीएमयूवाई उपभोक्ता डेटाबेस की एसईसीसी-2011 सूची के साथ तुलना की और पाया कि एलपीजी डेटाबेस में 12.46 लाख पीएमयूवाई लाभार्थियों के नाम एसईसीसी-2011 सूची (आईओसीएल:7.24 लाख, बीपीसीएल: 3.96 लाख और एचपीसीएल: 1.26 लाख) में दर्ज नामों से भिन्न थे।

इसके अलावा, 38 एलपीजी वितरकों की क्षेत्रीय लेखापरीक्षा के दौरान नमूना जांच की गई जिससे पता चला कि 4348 लाभार्थियों में से, 784 पीएमयूवाई लाभार्थियों (18 प्रतिशत) के नाम और परिवार के ब्यौरे उनके केवाईसी अभिलेखों अर्थात् राशन काई, आधार काई एसईसीसी ब्यौरे से मेल नहीं खाते, जो यह दर्शाता है कि योग्य लाभार्थियों के एएचएल टीआईएन का दुरुपयोग करके अनपेक्षित लाभार्थियों को एलपीजी कनेक्शन जारी किए गए थे, जो मुख्य रूप से वितरक स्तर पर निगरानी के अभाव के कारण हुआ था।

एमओपीएनजी ने उत्तर दिया (मई/जुलाई 2019) कि ओएमसीज को सूचित किए गए बेमेल नाम के मामलों के संबंध मे जांच करने और उचित कार्रवाई करने के सुझाव दिए थे। तदनुसार, सत्यापन के बाद, ओएमसीज ने 2.29 लाख कनेक्शन अयोग्य पाए हैं।


3.3 पीएमयूवाई के तहत एलपीजी कनेक्शनों को जारी करने से पहले दोहरीकरण को रोकने की प्रक्रिया

एलपीजी नियंत्रण आदेश, 2000 (यथा संशोधित) एक परिवार में एकल एलपीजी रसोई गैस कनेक्शन की अनुमित देता है और सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत एक परिवार को एक से अधिक एलपीजी कनेक्शन का अधिकार रखना प्रतिबंधित करता है। व्यक्ति/परिवार को अनेक कनेक्शन जारी करना प्रतिबंधित करने के लिए, ओएमसी ने दोहरीकरण को रोकने की प्रक्रिया को अपनाया जैसा नीचे दिया गया हैं:

- आवेदक और आवेदक के परिवार के सदस्यों की आधार संख्या और बैंक खाते के आधार पर ओएमसीज के अंतर्गत मौजूदा उपभोक्ता मास्टर डेटा के साथ आंतरिक दोहरीकरण को रोकने के कार्य की जांच।
- उपरोक्त विधि का उपयोग करके वेब-सर्विस इंटरफेस के माध्यम से अंतर-कंपनी दोहरीकरण को रोकने के कार्य की जांच।
- ❖ एसईसीसी डेटा (नाम और एएचएल टीआईएन) के साथ एएचएल टीआईएन के वैधीकरण के आधार पर एनआईसी द्वारा सामान्तर दोहरीकरण को रोकने की जांच।
- उपभोक्ता मास्टर , स्पष्ट केवाईसी और एनआईसी द्वारा निकाले गए एएचएल टीआईएन पर एसईसीसी परिवार के संदिग्ध मामले के साथ डी-इप्लिकेशन।

3.3.1 एक ही व्यक्ति या एक ही परिवार को पीएमयूवाई के तहत अनेक कनेक्शन जारी करना

लेखापरीक्षा ने कनेक्शनों को जारी करने हेतु उपयोग किए जाने वाले एएचएल टीआईएन पर डी-डुप्लिकेशन किया और यह पाया कि 822 मामलों में, ओएमसी ने उसी एएचएल टीआईएन अर्थात् उसी व्यक्ति को (29 अंकों के एएचएल टीआईएन के आधार पर) दोहरे कनेक्शन जारी किए जबिक 11643 मामलों में, एक ही परिवार को एएचएल टीआईएन के 26 अंक के आधार पर दोहरे कनेक्शन जारी किए गए थे। जैसा नीचे दर्शाया गया है:



एमओपीएनजी ने उत्तर दिया (मई/जुलाई 2019) कि ओएमसीज को जांच करने ओर सुधारात्मक कार्रवाई करने के सुझाव दिए गए थे। तदनुसार; ओएमसीज ने ऐसे सभी मामलों को बंद/समाप्त किया।

3.3.2 एसईसीसी-2011 डेटाबेस में अनुपलब्ध एएचएल टीआईएन पर जारी किए गए पीएमयूवाई कनेक्शन

डी-डुप्लिकेशन की कार्य प्रणाली के अनुसार, एसईसीसी-2011 की सूची में आवेदक के एएचएल टीआईएन नहीं पाए जाने के मामले में केवाईसी को रद्द कर दिया जाना चाहिए। एसईसीसी-2011 डेटाबेस से पीएमयूवाई उपभोक्ता डेटाबेस की तुलना से पता चला कि 42187 मामलों में (आईओसीएल: 42145 और बीपीसीएल: 42), एलपीजी डेटाबेस में दर्ज एएचएल टीआईएन एसईसीसी-2011 डेटाबेस में उपलब्ध नहीं थे।

एलपीजी वितरकों की लेखापरीक्षा में उपरोक्त मामलों की नमूना जांच से पता चला कि संबंधित वितरकों ने लाभार्थी के गलत एएचएल टीआईएन दर्ज किये थे जिनको एलपीजी सोफ्टवेयर द्वारा इनपुट वैधीकरण जांच की कमी के कारण स्वीकृत किया गया था। एनआईसी स्तर पर दोहरीकरण को रोकने की प्रक्रिया में इसका पता नहीं लगा और अयोग्य व्यक्तियों को पीएमयूवाई कनेक्शन जारी करने का जोखिम रहा।

आईओसीएल ने उत्तर दिया (अप्रैल 2019) कि वितरकों ने अंक के प्रविष्टि करने में लिपिकीय त्रुटि की है और इस प्रकार प्रारंभ में ही अपर्याप्त प्रणाली जांच के कारण उसका नामांकन हो गया। ऐसे सभी कनेक्शनों को क्षेत्रीय सत्यापन/आवश्यक सुधारात्मक कार्रवाई हेतु केंद्रीकृत रूप से बंद कर दिया गया है।

बीपीसीएल ने उत्तर दिया (अप्रैल 2019) कि एसईसीसी डेटा को समय-समय पर संशोधित किया गया था चूंकि विभिन्न संसाधनों से डेटा प्राप्त किया गया था। इन एएचएल टीआईएन की पुष्टि 2016/2017 में एनआईसी द्वारा की गई थी जब इनको एनआईसी को डी-डुप्लिकेशन हेतु भेजा गया था। लाभार्थी के ब्यौरे की पुन: पुष्टि के उद्देश्य हेतु, ऐसे 42 मामले लाभार्थियों द्वारा प्रस्तुत केवाईसी दस्तावेजों के सत्यापन हेतु क्षेत्र को भेजे जा रहे हैं।

उत्तर को इस तथ्य के संदर्भ में देखा जाना चाहिए कि ओएमसी और एनआईसी की ओर से अपर्याप्त प्रणाली जांच के कारण गलत एएचएल टीआईएन नामांकित हुए और डी-डुप्लिकेशन प्रक्रिया के बावजूद भी इनका पता नहीं लग पाया।

एमओपीएनजी ने उत्तर दिया (मई/जुलाई 2019) कि वैध एएचएल टीआईएन नामांकित किया जाना सुनिश्चित करने हेतु एनआईसी द्वारा प्रणाली जांच को सक्षम बनाया गया। इसके अलावा, आईओसीएल ने 41617 मामलों को अयोग्य पाया और 159 मामले सत्यापन हेतु लंबित थे।

3.4 एसवी जारी करने के बाद कनेक्शनों का संस्थापन नहीं होना

संस्थापन तिथियों के लेखापरीक्षा विश्लेषण से पता चला कि 1.34 लाख मामलों में (आईओसीएल: 0.51 लाख, बीपीसीएल: 0.57 लाख और एचपीसीएल: 0.26 लाख), एसवी जारी किए गए थे

परन्तु कनेक्शन संस्थापित नहीं किए गए। इसके अलावा, इन मामलों में से, 0.61 लाख मामलों में (आईओसीएल: 0.16 लाख, बीपीसीएल: 0.26 लाख और एचपीसीएल: 0.19 लाख) कनेक्शन 6 से 30 महीनों की अविध से संस्थापन हेत् लंबित थे।

ओएमसीज ने बताया (अप्रैल 2019) कि कनेक्शनों को संस्थापित नहीं किए जाने के विभिन्न कारण थे यथा-उपभोक्ता संपर्क की अनुपलब्धता, प्रवासी ग्रामीण जनसंख्या, केवाईसी दर्ज करने के बाद ऋण हेतु लाभार्थी का अनुरोध, असुरक्षित रसोईघर, ट्रांसपोर्टर्स की हड़ताल के कारण सिलेंडर के परिवहन में व्यवधान। हालांकि, 30 दिनों से अधिक की अविध के लिए संस्थापना हेतु लंबित सभी एसवी की जांच की गई है जिसके परिणामस्वरूप लंबन 46425 (आईओसीएल: 26302, बीपीसीएल: 2323, एचपीसीएल: 17800) तक रह गया।

ओएमसी द्वारा दिए गए कारण उन मामलों में उचित नहीं लगते जहां संस्थापन में छ: महीनों से अधिक का विलंब हुआ है। इसके अतिरिक्त, तथ्य यह है कि ओएमसी द्वारा प्रभावी निगरानी के बावजूद अभी भी अनेक कनेक्शन संस्थापन हेतु लंबित थे।

एमओपीएनजी ने निकास सम्मेलन के दौरान बताया कि संस्थापन हेतु समय सीमा निर्धारित की जाएगी। उन्होंने आगे बताया (जुलाई 2019) कि 48494 कनेक्शनों के सत्यापन के बाद, ओएमसी ने 15300 मामलों को समाप्त कर दिया है चूंकि या तो लाभार्थी का पता नहीं लगाया जा सका अथवा अयोग्य पाए गए हैं। शेष मामले सत्यापन हेतु लंबित थे।

3.5 पीएमयुवाई कनेक्शनों के संस्थापन में विलंब

पेट्रोलियम उत्पादों के विपणन पर ओएमसी के नागरिक चार्टर में निर्दिष्ट किया गया है कि नए घरेलू एलपीजी के लिए पंजीकरण तुरंत किया जाए और नए कनेक्शनों को सात कार्य-दिवसों के अंदर संस्थापित किया जाए। प्रणाली को प्रभावी बनाने के लिए, यह उचित होगा कि पीएमयूवाई कनेक्शनों की संस्थापना समयबद्ध तरीके से किया जाए।

लेखापरीक्षा ने प्रणाली में केवाईसी ब्यौरों को दर्ज करने की तिथि से पीएमयूवाई कनेक्शनों के संस्थापन हेतु समय सीमा की जांच करने के लिए पीएमयूवाई उपभोक्ताओं के डेटा का विश्लेषण किया। यह पाया गया कि संस्थापन काफी विलंब से किये गए थे जैसा नीचे दिया गया है:-

संस्थापन हेतु केवाईसी से लिया गया	कनेव	कनेक्शनों की संख्या		
समय (दिनों की संख्या)	आईओसीएल	बीपीसीएल	एचपीसीएल	
0-7	33.27	27.29	12.10	72.66
8-30	62.79	29.44	35.82	128.05
31-60	30.78	13.25	19.90	63.93
61-90	14.89	7.91	9.99	32.79
91-180	24.38	11.34	14.12	49.84
181-365	12.48	7.19	6.59	26.26
365 दिनों से अधिक	1.82	1.09	1.44	4.35
कुल	180.41	97.51	99.96	377.88

तालिका 3.2: दिसंबर 2018 तक संस्थापन का समय विश्लेषण (लाख में)

लेखापरीक्षा में पाया गया कि निर्धारित अविध के अंतर्गत कुल पीएमयूवाई कनेक्शनों मे से केवल 19.23 प्रतिशत संस्थापित किए गए थे।

ओएमसीज ने बताया (अप्रैल 2019) कि संस्थापन में विलंब हेतु उपभोक्ता के संपर्क दूरभाष नंबर के अभाव के कारण उपभोक्ता का पता लगाने में किठनाईयां, प्रवासी ग्रामीण जनसंख्या, केवाईसी दर्ज करने के बाद ऋण हेतु लाभार्थी का अनुरोध, एलपीजी संस्थापन जैसे- खाना बनाने की समतल जगह हेतु सुरक्षित परिस्थितयों की अनुपलब्धता, ट्रासंपोर्टरों की हड़ताल, बाढ़ के कारण सिलिंडरों/रेगुलेटरों/हॉट प्लेटों के परिवहन में और संस्थापन में आने वाली बाधाओं के संबंध में श्रम बल को प्रशिक्षण देने में लिया गया समय जैसे विभिन्न कारण है।

ओएमसी के उत्तर को इस तथ्य के संबंध में देखा जा सकता है कि उपभोक्ता संपर्क की अनुपलब्धता ओर उपभोक्ता की पहचान करने में वितरकों द्वारा सामना की जा रही कठिनाईयों के विषयों ने यह उजागर किया कि क्या एसवी सृजन से पहले उपभोक्ताओं के परिसर में पूर्व-संस्थापन निरीक्षण किया गया था। संस्थापन में विलंब के मुद्दों का पता लगाने के लिए प्रबंधन दवारा की गई कार्रवाई के विषय में कोई उत्तर नहीं दिया गया है।

एमओपीएनजी ने उत्तर दिया (मई 2019) कि ओएमसी ने कनेक्शनों के समय पर संस्थापन सुनिश्चित करने हेतु एक विस्तृत एसओपी और प्रभावी निगरानी तंत्र स्थापित किया है।

3.6 लिंक किया गया खाता पीएमयूवाई लाभार्थी से संबंधित ना होना

भारत सरकार द्वारा प्रारंभ की गई पहल (डीबीटीएल) योजना (2013) योग्य लाभार्थियों के बैंक खाते में सीधे सब्सिडी के नकद हस्तांतरण को नियोजन करके ओएमसी की संवितरण प्रणाली के माध्यम से घरेलू एलपीजी की चोरी और विपथन पर नियंत्रण करने के लिए परिकल्पित की गई थी। इस योजना में एलपीजी उपभोक्ताओं द्वारा घरेलू सिलेंडरों के लिए बाजार मूल्य का भुगतान करने और उपभोक्ता के बैंक खाते में सीधे सब्सिडी की राशि के हस्तांतरण की परिकल्पना की गई है। हालांकि, 164 एलपीजी वितरकों के केवाईसी अभिलेखों की नमूना जांच के दौरान, 100 दृष्टांत देखे गए जहां दूसरों के बैंक खाते पीएमयूवाई लाभार्थियों के साथ लिंक किए गए थे, जिसके कारण उनकी सब्सिडी दूसरों के बैंक खातों में हस्तांतिरत हो गई थी जिससे वास्तिवक लाभार्थियों को अपनी सब्सिडी से वंचित रहना पड़ा।

ओएमसीज ने उत्तर दिया (अप्रैल 2019) कि ऐसे सभी मामलों में जहां गलत बैंक ब्यौरे पाए गए हैं, प्रणाली में स्धार का प्रावधान है जो वितरक द्वारा किया जा सकता है।

एमओपीएनजी ने बताया (मई/जुलाई 2019) कि लाभार्थी के बैंक खाते और नाम एनपीसीआई को संबंधित बैंकों से सत्यापन और डी-डुप्लिकेशन हेतु भेजे गए हैं। ओएमसीज को पीएमयूवाई लाभार्थियों से जुड़े संयुक्त खातों की पहचान करने और 30 जून 2019 तक रिपोर्ट प्रस्तुत करने का सुझाव दिया गया है। इसके अलावा, बीपीसीएल और एचपीसीएल ने 64 मामलों का वैधीकरण किया और 11 कनेक्शनों को अयोग्य पाया है। शेष मामलों का वैधीकरण लंबित था।

उत्तरों को इस तथ्य के परिपेक्ष्य में देखा जाना चाहिए कि चूंकि लाभार्थियों से असंबंधित बैंक खाते एनपीसीआई और संबंधित बैंकों की जांच में मंजूर हो गए, यह मौजूदा खाता वैधीकरण में अपर्याप्तता को दर्शाता है।

3.7 बंद/निष्क्रिय किए गए पीएमयुवाई कनेक्शनों के सत्यापन में विंलब

पीएमयूवाई उपभोक्ता डेटाबेस के विश्लेषण से पता चला कि 2.77 लाख संदिग्ध पीएमयूवाई कनेक्शन (आईओसीएल: 1.34 लाख बीपीसीएल: 1.12 लाख और एचपीसीएल: 0.31 लाख) ओएमसीज द्वारा अवरुद्ध/निष्क्रिय कर दिए गए थे। चूंकि पीएमयूवाई लाभार्थी बीपीएल श्रेणी से संबंधित हैं और एलपीजी के नए उपयोगकर्ता है; एलपीजी कनेक्शनों को निष्क्रिय करना और उनको लंबे समय तक लंबित रखना, अशुद्ध ईंधन से स्वच्छ ईंधन में लाभार्थियों के परिवर्तित होने के बीच में आ जाएगा। लेखापरीक्षा ने आगे पाया कि 2.77 लाख अवरूद्ध कनेक्शनों में से 2.31 लाख में (आईओसीएल: 1.06 लाख, बीपीसीएल: 1.03 लाख और एचपीसीएल: 0.22 लाख) नौ महीनों (अंतिम रिफिल की तारीख से लिया गया है क्योंकि ब्लॉकिंग की तारीख उपलब्ध नहीं थी) से अधिक की अवधि के लिए सत्यापन हेतु लंबित थे, जो न्याय संगत नहीं है।

ओएमसीज (अप्रैल 2019) ने जवाब दिया कि अवरुद्ध/निष्क्रिय पीएमयूवाई कनेक्शनों के सत्यापन में तेजी लाई जाएगी।

पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने जवाब दिया (मई/जुलाई 2019) कि ओएमसीज ने 3.85 लाख अवरुद्ध कनेक्शनों को सत्यापित किया है और अयोग्य 1.15 लाख (आईओसीएल: 74,000; बीपीसीएल: 31,048 और एचपीसीएल: 10,178) कनेक्शनों को निलंबित किया और 1.59 लाख कनेक्शनों को योग्य पाया गया जिन्हें सिक्रय किया गया है। शेष मामले सत्यापन के लिए लंबित थै।

3.8 अपने स्वयं के एएचएल टिन के बारे में लाभार्थियों के बीच जानकारी का अभाव

योजना के तहत, बीपीएल परिवार की एक महिला को निर्धारित केवाईसी आवेदन पत्र प्रस्तुत करके नए एलपीजी कनेक्शन के लिए आवेदन करना होता है। एलपीजी क्षेत्रीय अधिकारियों को एसईसीसी-2011 से केवाईसी विवरणों का मिलान करना होता हैं। हालांकि, लेखापरीक्षा में पाया गया कि लाभार्थियों के एएचएल टिन को एसईसीसी सूची में एलपीजी वितरकों द्वारा पहचाना गया था और लाभार्थियों को अपने स्वयं के एएचएल टिन के बारे में जानकारी नहीं थीं। यह अपात्र लाभार्थियों को कनेक्शन जारी करने के लिए वास्तविक लाभार्थियों की जानकारी के बिना उनके एएचएल टिन के दुरुपयोग के जोखिम से भरा है।

ओएमसीज ने जवाब दिया (अप्रैल 2019) कि एसईसीसी सूची को गांवों में आयोजित मेलों/कैंपों में प्रदर्शित किया जाता है जिनका संभावित योग्य लाभार्थियों द्वारा दौरा किया जाता है। एसईसीसी सूची जनता के साथ साझा करने के लिए ग्रामीण प्रशासनिक अधिकारियों, जिला स्तरीय

अधिकारियों को भी प्रदान की गई थी। इसलिए, एसईसीसी डेटा में उनके नाम की पहचान करने के लिए वितरक पर निर्भर होना आवेदकों के लिए एक बड़ी चुनौती नहीं थी। एमओपीएनजी, ने निकास सम्मेलन के दौरान कहा (मई 2019) की मुद्दे को एमओआरडी के साथ उठाया गया है क्योंकि अन्य सामाजिक योजनाएं भी हैं जो एसईसीसी पर आधारित है।

3.9 योजना की तृतीय पक्ष लेखा परीक्षा

पीएमयूवाई दिशानिर्देशों में कहा गया है कि सरकार इस योजना की तृतीय पक्ष लेखापरीक्षा कर सकती है। हालांकि, आज तक सरकार द्वारा ऐसी कोई लेखापरीक्षा नहीं की गई है जो ऊपर चर्चा की गई लेखापरीक्षा टिप्पणियों के मद्देनजर महत्व रखता है।

एमओपीएनजी ने लेखापरीक्षा टिप्पणी नोट की और सूचित किया (मई/जुलाई 2019) कि योजना की तृतीय पक्ष लेखापरीक्षा करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है।